



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41]
No. 41]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 15, 2013/माघ 26, 1934
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 15, 2013/MAGHA 26, 1934

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2013

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) दूसरा संशोधन विनियम, 2013

संख्या भाराराप्रा/11011/17/2012-मा सं. 1 (खण्ड XI).—भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 9 के साथ पठित, धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 1996 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) ये विनियम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) दूसरा संशोधन विनियम, 2013 कहलाएंगे।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 1996 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम संदर्भित किया गया है) की अनुसूची में, निम्नलिखित पदों के लिए पात्रता के मानदंड और अर्हताओं को निर्धारित करने वाली अनुसूचियों को हटा दिया जाएगा, अर्थात् :—

“मुख्य महाप्रबंधक (योजना एवं गुणवत्ता)

मुख्य महाप्रबंधक (मानकीकरण, अनुसंधान और विकास)।”

3. मूल विनियमों की अनुसूची में, निम्नलिखित पद के लिए पात्रता के मानदंड और अर्हताओं को निर्धारित करने वाली अनुसूची को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक।”

4. मूल विनियमों की अनुसूची में, निम्नलिखित पद के लिए पात्रता के मानदंड और अर्हताओं को निर्धारित करने वाली अनुसूची को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“मुख्य महाप्रबंधक (योजना एवं सांख्यिकी)

मुख्य महाप्रबंधक (मानकीकरण, अनुसंधान, विकास और गुणवत्ता)

हिन्दी अधिकारी।”

5. मूल विनियमों की अनुसूची में, टिप्पणी 2 के पश्चात, निम्नलिखित टिप्पणी को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“टिप्पणी-3:- जहां अनुसूचियों के कालम 5 में प्रतिनियुक्ति/संविदा को भर्ती की विधि के रूप में निर्धारित किया गया हो और जहां विशिष्टीकृत पदों के निमित्त पर्याप्त प्रत्युत्तर प्राप्त न हुआ हो वहां यदि अध्यक्ष की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह लिखित रूप में कारणों का दर्ज करके पद के लिए अपेक्षित अनिवार्य अनुभव में छूट प्रदान कर सकता है।”

6. मूल विनियमों की अनुसूची में, मुख्य महाप्रबंधक (तकनीकी) के पद के सामने, कालम 8 में, प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी:-

“(1) उन आंतरिक अभ्यर्थियों में से जो 6 वर्ष की अवधि से नियमित आधार पर महाप्रबंधक (तक) का पद धारण किए हुए हैं और जिन्हें कालम 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं और अनिवार्य अनुभव प्राप्त हो और जिन्हें परियोजना निदेशक के रूप में कम-से-कम तीन वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, परन्तु शर्त यह है कि सक्षम प्राधिकारी वर्तमान में मुख्यालय में कार्यरत उन नियमित महाप्रबंधकों (तकनीकी) के लिए अगले दो वर्षों के लिए इस शर्त में ढील दे सकता है जिनकी फील्ड में तैनाती न की गई हो, परन्तु आगे शर्त यह है कि पदोन्नति होने पर ऐसे अधिकारियों के लिए फील्ड में दो वर्ष तक काम करना अनिवार्य होगा।”

डॉ. जे.एन. सिंह, सदस्य (प्रशासन)

[विज्ञापन III/4/असाधारण/122/12]

पाद टिप्पणी :- मूल विनियम अधिसूचना संख्या एनएचएआर-12011/1/95-प्रशा. तारीख 11 मार्च, 1996 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4, तारीख 11 मार्च, 1996 में प्रकाशित की गई थी जिसमें गत संशोधन अधिसूचना संख्या एनएचएआई/11011/17/2012-एचआर-1(खण्ड IX), तारीख 24 जनवरी, 2013 द्वारा किया गया था जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III-खण्ड 4, तारीख 24 जनवरी, 2013 में प्रकाशित की गई थी।

स्पष्टीकरण ज्ञापन

इस संशोधन की अधिसूचना से पहले कर ली गई अथवा करने से लोप करा दी गई किसी बात पर इस संशोधन के प्रख्यापन से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पद का नाम	पद की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन	भर्ती की विधि
1	2	3	4	5
कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	03 (2013), कार्यभार पर निर्भर करते हुए परिवर्तन के अध्यधीन	समूह-ख	पीबी-2, (9300-34800 रुपये) और श्रेणी वेतन 4200/- रुपये	प्रतिनियुक्ति / संविदा / सीधी भर्ती

सीधी तथा संविदा पर भर्ती के संबंध में आयु सीमा	अपेक्षित शैक्षिक अर्हता एवं अनुभव	प्रतिनियुक्ति/संविदा/सीधी भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे भर्ती की जानी है
6	7	8
30 वर्ष	<p>शैक्षिक अर्हताएं:- अनिवार्य:-</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी या हिंदी विषय के साथ हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या समतुल्य ;</p> <p>या</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी या अंग्रेजी और अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी या हिंदी के साथ, हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में मास्टर डिग्री या समतुल्य ;</p> <p>या</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी और अंग्रेजी या परीक्षा के माध्यम के रूप में उन दोनों में से कोई एक विषय और अन्य विषय अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में, हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में मास्टर डिग्री या समतुल्य ;</p> <p>और</p> <p>(ii) हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या प्रमाणपत्र या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के कार्यालयों में, जिनके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी शामिल हैं, हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव ।</p> <p>वांछनीय:-</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड के मैट्रिक या समतुल्य स्तर पर हिंदी से भिन्न संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित किसी एक भाषा का ज्ञान ।</p> <p>या</p> <p>(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद में डिग्री या डिप्लोमा ।</p>	<p>(i) केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों या संघ शासित क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अर्द्धसरकारी या सांविधिक या स्वायत्तशासी संगठनों और अन्य सरकारी निकायों के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा:-</p> <p>(i) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में वेतन बैंड-2 (9300-34800 रुपये) और श्रेणी वेतन 4200/- रुपये के वेतनमान (केन्द्रीय महंगाई भत्ता पद्धति) में नियमित आधार पर सहश पद पर कार्यरत हों ;</p> <p>या</p> <p>(ii) जिन्होंने अपने मूल संवर्ग/विभाग में वेतन बैंड-1 (5200-20200 रुपये) और श्रेणी वेतन 2800/- रुपये के वेतनमान (केन्द्रीय महंगाई भत्ता पद्धति) में ग्रेड में नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर छह वर्ष की सेवा कर ली हो ;</p> <p>या</p> <p>(iii) जिन्होंने अपने मूल संवर्ग/विभाग में वेतन बैंड-1 (5200-20200 रुपये) और श्रेणी वेतन 2400/- रुपये के वेतनमान (केन्द्रीय महंगाई भत्ता पद्धति) में ग्रेड में नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर दस वर्ष की सेवा कर ली हो ;</p> <p>और</p> <p>जिनके पास कॉलम 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो</p> <p>या</p> <p>(2) ऐसे अभ्यर्थियों में से सीधी भर्ती / संविदा द्वारा जिनके पास कॉलम 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अनिवार्य अनुभव हो ।</p> <p>प्रतिनियुक्ति की अवधि</p> <p>प्रतिनियुक्ति की प्रारम्भिक अवधि 05 वर्ष होगी जिसे नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी के अनुमोदन से 02 वर्ष बढ़ाया जा सकता है, या घटाया जा सकता है ।</p>

पद का नाम	पद की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन	भर्ती की विधि
1	2	3	4	5
मुख्य महाप्रबंधक (योजना एवं सांख्यिकी)	01 (2013), कार्यभार पर निर्भर करते हुए परिवर्तन के अध्यधीन	समूह-क	पीबी-4 (37400-67000 रुपये) और श्रेणी वेतन 10,000/- रुपये	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति

आयु सीमा (केवल सीधी भर्ती के संबंध में)	अपेक्षित शैक्षिक अर्हता एवं अनुभव	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे भर्ती की जानी है
6	7	8
लागू नहीं	<p>अनिवार्य शैक्षिक अर्हता:- किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री अथवा समकक्ष ; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से सांख्यिकी में मास्टर डिग्री अथवा समकक्ष ; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री अथवा समकक्ष ; या भारतीय सांख्यिकीय सेवा (आइएसएस) या भारतीय आर्थिक सेवा (आइईएस) का कोई अधिकारी ।</p> <p>वांछनीय शैक्षिक अर्हता:- (क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से राजमार्ग इंजीनियरिंग से संबंधित क्षेत्र में सिविल इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिग्री; या (ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा ; या (ग) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से विधि में डिग्री ।</p> <p>अनिवार्य अनुभव:- (i) वेतन बैंड-4 तथा श्रेणी वेतन 8700/- रुपये (केन्द्रीय महंगाई भत्ता पद्धति) में नियमित आधार पर कम-से-कम तीन वर्ष की अवधि के लिए किसी सट्टर पद पर या भाराराप्रा में महाप्रबंधक के समकक्ष पद पर या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीक्षक अभियंता के पद पर कार्यरत होना चाहिए ; और (ii) वेतन बैंड-3 (15600-39100 रुपये) तथा श्रेणी वेतन 5400/- रुपये या अधिक (केन्द्रीय महंगाई भत्ता पद्धति) में नियमित आधार पर समूह 'क' पद पर कम-से-कम 17 वर्ष की सेवा; और (iii) जिसमें से परियोजनाओं के सांख्यिकीय डाटा के संग्रहण/संकलन/व्याख्या या वित्तीय/आर्थिक विश्लेषण का कम-से- कम तीन वर्ष का अनुभव ।</p>	<p>खोज-सह- चयन समिति के माध्यम से चयन:- (1) ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले तथा कालम 7 के खंड (ii) तथा (iii) में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता और अनिवार्य अनुभव वाले भाराराप्रा के महाप्रबंधक (तकनीकी) में से पदोन्नति द्वारा । या (2) केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों या संघ शासित क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अर्द्धसरकारी या सांविधिक या स्वायत्तशासी संगठनों और अन्य सरकारी निकायों में कार्यरत उन अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा :- (i) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में वेतन बैंड-4 (37400-67000 रुपये) और श्रेणी वेतन 10000/- रुपये के वेतनमान (केन्द्रीय महंगाई भत्ता पद्धति) में नियमित आधार पर सट्टर पद पर कार्यरत हों ; या (ii) जिन्होंने अपने मूल संवर्ग/विभाग में वेतन बैंड-4 (37400-67000 रुपये) और श्रेणी वेतन 8900/- रुपये के वेतनमान (केन्द्रीय महंगाई भत्ता पद्धति) में ग्रेड में नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर दो वर्ष की सेवा कर ली हो ; या (iii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में वेतन बैंड-4 (37400-67000 रुपये) और श्रेणी वेतन 8700/- रुपये के वेतनमान (केन्द्रीय महंगाई भत्ता पद्धति) में ग्रेड में नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर तीन वर्ष की सेवा कर ली हो ; और जिनके पास कॉलम 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता और अनिवार्य अनुभव हो</p> <p>प्रतिनियुक्ति की अवधि प्रतिनियुक्ति की प्रारम्भिक अवधि 05 वर्ष होगी जिसे नियुक्तकर्ता प्राधिकारी के अनुमोदन से 02 वर्ष बढ़ाया जा सकता है, या घटाया जा सकता है ।</p>

टिप्पणी:- जहाँ कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, की पदोन्नति पर विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों की पदोन्नति पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा, ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष से कम न हो, इनमें से जो भी कम हो, और उन्होंने अगले उच्च ग्रेड में, पदोन्नति के लिए अपने से कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने पहले ही ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, के साथ परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

पद का नाम	पद की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन	भर्ती की विधि
1	2	3	4	5
मुख्य महाप्रबंधक (मानकीकरण अनुसंधान, विकास और गुणवत्ता)	01 (2013), कार्यभार पर निर्भर करते हुए परिवर्तन के अध्याधीन	समूह-क	पीबी-4 (37400-67000 रुपये) और श्रेणी वेतन 10,000/- रुपये	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति

आनु सीमा (केवल सीधी भर्ती के संबंध में)	अपेक्षित शैक्षिक अर्हता एवं अनुभव	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में वे रोड जिनसे भर्ती की जानी है
6	7	8
लागू नहीं	<p>अनिवार्य शैक्षिक अर्हता:-</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री या समकक्ष ।</p> <p>वांछनीय शैक्षिक अर्हता:-</p> <p>(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से राजमार्ग इंजीनियरिंग से संबंधित क्षेत्र में सिविल इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिग्री;</p> <p>या</p> <p>(ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा;</p> <p>या</p> <p>(ग) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से विधि में डिग्री ।</p> <p>अनिवार्य अनुभव:-</p> <p>(i) वेतन बैंड-4 तथा श्रेणी वेतन 8700/- रुपये (केन्द्रीय महंगाई भत्ता पद्धति) में नियमित आधार पर किसी सहश्रय पद पर; या भाराराप्रा में महाप्रबंधक के समकक्ष पद पर या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीक्षक अभियंता के पद पर नियमित आधार पर कम-से-कम तीन वर्ष की अवधि से कार्यरत होना चाहिए ;</p> <p>और</p> <p>(ii) वेतन बैंड-3 (15600-39100 रुपये) तथा श्रेणी वेतन 5400/- रुपये अथवा अधिक (केन्द्रीय महंगाई भत्ता पद्धति) में नियमित आधार पर समूह 'क' पद पर कम-से-कम 17 वर्ष की सेवा ;</p> <p>और</p> <p>(iii) जिसमें से राजमार्ग/सड़क/पुल इंजीनियरी में कम-से-कम 12 वर्ष का अनुभव हो, जिसमें से मानकीकरण/अनुसंधान और विकास/गुणवत्ता में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव का होना चाहिए ।</p> <p>वांछनीय अनुभव:-</p> <p>उसे आयोजना, परामर्शदाताओं और संविदाकारों की पूर्व-अर्हता; परियोजनाओं के वित्तीय मूल्यांकन; विस्तृत डिजाइनिंग; तकनीकी-वित्तीय पुनरीक्षा; टेंडरों का मूल्यांकन, संविदा प्रबंधन; मॉनिटरिंग; बड़ी निर्माण एजेंसियों/सरकारी निकायों के साथ संपर्क; बड़े राजमार्गों/पुल परियोजनाओं के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन की अच्छी जानकारी होनी चाहिए ।</p>	<p>खोज-सह-चयन समिति के माध्यम से चयन:-</p> <p>(1) रोड में तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले तथा कालम 7 के खंड (ii) तथा (iii) में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता और अनिवार्य अनुभव वाले भाराराप्रा के महाप्रबंधक (तकनीकी) में से पदोन्नति द्वारा ।</p> <p>या</p> <p>(2) केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों या संघ शासित क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अर्द्धसरकारी या सांविधिक या स्वायत्तशासी संगठनों और अन्य सरकारी निकायों में कार्यरत अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा:-</p> <p>(i) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में वेतन बैंड-4 (37400-67000 रुपये) और श्रेणी वेतन 10000/- रुपये के वेतनमान (केन्द्रीय महंगाई भत्ता पद्धति), में नियमित आधार पर सहश्रय पद पर कार्यरत हो ;</p> <p>या</p> <p>(ii) जिन्होंने अपने मूल संवर्ग/विभाग में वेतन बैंड-4 (37400-6700 रुपये) और श्रेणी वेतन 8900/- रुपये के वेतनमान (केन्द्रीय महंगाई भत्ता पद्धति) में रोड में नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर दो वर्ष की सेवा कर ली हो ;</p> <p>या</p> <p>(iii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में वेतन बैंड-4 (37400-6700 रुपये) और श्रेणी वेतन 8700/- रुपये के वेतनमान (केन्द्रीय महंगाई भत्ता पद्धति) में रोड में नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर तीन वर्ष की सेवा कर ली हो ;</p> <p>और</p> <p>जिनके पास कालम 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं और अनिवार्य अनुभव हो</p> <p>प्रतिनियुक्ति की अवधि</p> <p>प्रतिनियुक्ति की प्रारम्भिक अवधि 05 वर्ष होगी जिसे नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी के अनुमोदन से 02 वर्ष बढ़ाया जा सकता है, या घटाया जा सकता है ।</p>

टिप्पणी:- जहाँ कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, की पदोन्नति पर विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों की पदोन्नति पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा, ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष से कम न हो, इनमें से जो भी कम हो, और उन्होंने अगले उच्च रोड में, पदोन्नति के लिए अपने से कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने पहले ही ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, के साथ परिवेक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

609 GI/13-2

पद का नाम	पद की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन	भर्ती की विधि
1	2	3	4	5
हिंदी अधिकारी	01 (2013), कार्यभार पर निर्भर करते हुए परिवर्तन के अधीन	समूह-क	पीबी-3, (15600-39100 रुपये) और श्रेणी वेतन 5400/- रुपये	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति

सीधी भर्ती के संबंध में आयु सीमा	अपेक्षित शैक्षिक अर्हता एवं अनुभव	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिन्हसे भर्ती की जानी है
6	7	8
लागू नहीं	<p>शैक्षिक अर्हताएं:-</p> <p>अनिवार्य:- किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अंग्रेजी विषय के साथ हिंदी में मास्टर डिग्री या समतुल्य; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर हिंदी विषय के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या समतुल्य; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी विषयों के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री या समतुल्य; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी माध्यम से और डिग्री स्तर पर अंग्रेजी विषय के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री या समतुल्य; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम से और डिग्री स्तर पर हिंदी विषय के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री या समतुल्य ।</p> <p>वांछनीय:- (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड के मैट्रिक या समतुल्य स्तर पर हिंदी से भिन्न संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित किसी एक भाषा का ज्ञान या (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद में डिग्री या डिप्लोमा ।</p> <p>अनिवार्य अनुभव:- हिन्दी में शब्दावली कार्य और अंग्रेजी से हिंदी अथवा हिंदी से अंग्रेजी में अधिमानतः तकनीकी अथवा वैज्ञानिक साहित्य के अनुवाद कार्य का पांच वर्ष का अनुभव ।</p>	<p>पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिन्हसे भर्ती की जानी है</p> <p>(1) ग्रेड में छह वर्ष की नियमित सेवा वाले भाराप्राम में कनिष्ठ हिंदी अनुवादक में से पदोन्नति द्वारा । या (2) केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों या संघ शासित क्षेत्रों या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अर्द्धसरकारी या सांविधिक या स्वायत्तशासी संगठनों और अन्य सरकारी निकायों में कार्यरत उन अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा:- (i) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में वेतन बैंड-3 (15600-39100 रुपये) और श्रेणी वेतन 5400/- रुपये के वेतनमान (केन्द्रीय महंगाई भत्ता पद्धति) में नियमित आधार पर सट्टा पद पर कार्यरत हों ; या (ii) जिन्होंने अपने मूल संवर्ग/विभाग में वेतन बैंड-2 (9300-34800 रुपये) और श्रेणी वेतन 4600/- रुपये के वेतनमान (केन्द्रीय महंगाई भत्ता पद्धति) में ग्रेड में नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर तीन वर्ष की सेवा कर ली हो ; या (iii) जिन्होंने अपने मूल संवर्ग/विभाग में वेतन बैंड-2 (9300-34800 रुपये) और श्रेणी वेतन 4200/- रुपये के वेतनमान (केन्द्रीय महंगाई भत्ता पद्धति) में ग्रेड में नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर छह वर्ष की सेवा कर ली हो ; और जिनके पास कॉलम 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो ।</p> <p>प्रतिनियुक्ति की अवधि प्रतिनियुक्ति की प्रारम्भिक अवधि 05 वर्ष होगी जिसे नियुक्तकर्ता प्राधिकारी के अनुमोदन से 02 वर्ष बढ़ाया जा सकता है, या घटाया जा सकता है ।</p>

टिप्पणी:- जहाँ कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, की पदोन्नति पर विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों की पदोन्नति पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा, ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष से कम न हो, इनमें से जो भी कम हो, और उन्होंने अगले उच्च ग्रेड में, पदोन्नति के लिए अपने से कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने पहले ही ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, के साथ परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION

New Delhi, the 14th February, 2013

The National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Second Amendment Regulations, 2013

No.NHAI/11011/17/2012-HR.I(Vol.XI). – In exercise of the powers conferred by section 35, read with section 9, of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the National Highways Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 1996, namely: -

1. **Short title and commencement:-** (1) These regulations may be called the National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Second Amendment Regulations, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 1996 (hereinafter referred to as the principal regulations), the Schedules prescribing eligibility criteria and qualifications for the following posts shall be deleted, namely:-

**“Chief General Manager (Planning and Quality)
Chief General Manager (Standardization, Research and Development).”**

3. In the Schedule to the principal regulations, the Schedule prescribing eligibility criteria and qualifications for the following post shall be substituted, namely:-

“Junior Hindi Translator.”

4. In the Schedule to the principal regulations, the Schedule prescribing the eligibility criteria and qualifications for the following posts shall be inserted, namely:-

**“Chief General Manager (Planning and Statistics)
Chief General Manager (Standardization, Research, Development and Quality)
Hindi Officer.”**

5. In the Schedule to the principal regulations, after Note 2, the following note shall be inserted, namely:-

“Note-3:- Where deputation / contract is prescribed as a mode of recruitment in Column 5 of the Schedules and where the adequate response is not received against the specialized posts, if the Chairman is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, he may for the reasons to be recorded in writing, relax the essential experience required for the post.”

6. In the Schedule to the principal regulations, against the post of Chief General Manager (Technical), in column 8, for the entry, the following entry shall be substituted:-

“(1) From internal candidates holding the post of a General Manager (Tech.) on a regular basis for a period of 6 years and possessing the essential educational qualifications and essential experience stipulated in column 7 and possessing a

minimum of three years experience as Project Director, provided that the Competent Authority may relax this condition for the next two years for those regular General Managers (Tech.), working presently at Headquarters and not given field posting; provided further that such officers on promotion shall have to work compulsorily in the field for two years.”

Dr. J. N. SINGH, Member (Administration)

[ADVT. III/4/Exty/122/12]

Foot note:— The principal regulations were published vide notification No.NHAR-12011/1/95-Admn., dated 11th March, 1996, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 11th March, 1996 and last amended vide notification No.NHAI/11011/17/2012-HR.I(Vol.IX), dated 24th January, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III – Section 4, dated the 24th January, 2013.

Explanatory Memorandum

Anything done or omitted to be done prior to notification of this amendment shall not be affected by promulgation of this amendment.

Name of Post	No. of Post	Classification of Post	Pay Band and Grade Pay	Method of recruitment
1	2	3	4	5
Junior Hindi Translator	03 (2013), subject to variation dependent on workload	Group-B	PB-2 (Rs.9300-34800) with Grade Pay of Rs.4200	Deputation/ Contract/ Direct Recruitment

Age limit for direct recruitment and contract	Educational qualification and experience required	In case of recruitment by deputation /contract/ direct recruitment, the grades from which to be made
6	7	8
30 years	<p>Educational qualifications:</p> <p>Essential:-</p> <p>(I) Master's degree of a recognized University or equivalent in Hindi or English with English or Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of examination at degree level;</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Master's degree of a recognized University or equivalent in any subject other than Hindi or English, with Hindi or English medium and English or Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of examination at degree level;</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Master's degree of a recognized University or equivalent in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as a compulsory or elective subjects or either of the two as medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level;</p> <p style="text-align: center;">AND</p> <p>(II) Recognized Diploma or Certificate Course in translation from Hindi to English and vice-versa or two years experience of translation work from Hindi to English and vice-versa in Central or State Government offices, including Government of India undertaking.</p> <p>Desirable:-</p> <p>(i) Knowledge at the level of Matriculation of a recognized Board or equivalent of one of the languages other than Hindi mentioned in the Eighth Schedule of the Constitution.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>(ii) Degree or Diploma in translation from Hindi to English and vice-versa from a recognized University.</p>	<p>(1) By deputation from officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organizations and other Government Bodies:-</p> <p>(i) holding analogous post on regular basis in the pay scale of Pay Band-2 (Rs.9300-34800) with Grade Pay Rs.4200/- (in CDA pattern) in the parent cadre/ department;</p> <p style="text-align: center;">or</p> <p>(ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the pay scale of Pay Band-1 (Rs.5200-20200) with Grade Pay Rs.2800/- (in CDA pattern) in the parent cadre/ department;</p> <p style="text-align: center;">or</p> <p>(iii) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the pay scale of Pay Band-1 (Rs.5200-20200) with Grade Pay Rs.2400/- (in CDA pattern) in the parent cadre/ department;</p> <p style="text-align: center;">and</p> <p>Possessing the essential educational qualifications and experience stipulated in column 7</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>(2) By direct recruitment / contract from candidates possessing essential educational qualifications and essential experience stipulated in column 7.</p> <p>Period of deputation</p> <p>Initial period of deputation shall be 05 years, which may be extended for a period of 02 years or curtailed with the approval of the Appointing Authority.</p>

Name of post	No. of post	Classification of post	Pay Band and Grade Pay	Method of recruitment
1	2	3	4	5
Chief General Manager (Planning and Statistics)	01 (2013), subject to variation dependent on workload	Group-A	PB-4 (Rs.37400-67000) with Grade Pay Rs.10,000	Promotion / Deputation

Age limit (in respect of direct recruitment only)	Educational qualification and experience required	In case of recruitment by promotion / deputation, the grades from which to be made
6	7	8
Not Applicable	<p>Essential Educational Qualification:-</p> <p>Bachelor's Degree in Civil Engineering or equivalent from a recognized University/ Institute;</p> <p>or</p> <p>Master's Degree in Statistics or equivalent from a recognized University/ Institute;</p> <p>or</p> <p>Master's Degree in Economics or equivalent from a recognized University/ Institute;</p> <p>or</p> <p>An officer of Indian Statistical Service (ISS) or Indian Economic Service (IES).</p> <p>Desirable Educational Qualification:-</p> <p>(a) Post Graduate Degree in Civil Engineering in a field related to Highway Engineering from a recognized University/ Institute;</p> <p>or</p> <p>(b) Post Graduate Degree / Diploma in Management from a recognized University/ Institute;</p> <p>or</p> <p>(c) Degree in Law from a recognized University/ Institute.</p> <p>Essential Experience:-</p> <p>(i) Should be working in an analogous post on a regular basis; or the post equivalent to that of General Manager of NHAI or Superintending Engineer of MoRT&H in the Pay Band-4 with Grade Pay Rs.8700/- (in CDA pattern) for a period of at least three years on a regular basis;</p> <p>and</p> <p>(ii) At least 17 years' service in a Group-'A' post carrying the pay scale of Pay Band-3 (Rs.15600-39100) with Grade Pay Rs.5400/- or higher (in CDA Pattern) on a regular basis;</p> <p>and</p> <p>(iii) Out of which at least three years experience in collection / compilation / interpretation of statistical data or financial / economic analysis of projects.</p>	<p>Selection through Search-cum-Selection Committee:-</p> <p>(1) By promotion from amongst General Manager (Technical) of NHAI with three years' regular service in the grade; and possessing essential educational qualification and essential experience stipulated in Clauses (ii) and (iii) of Column 7.</p> <p>OR</p> <p>(2) By deputation from officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organizations and other Government Bodies:-</p> <p>(i) holding analogous post on regular basis in the pay scale of Pay Band-4 (Rs.37400-67000) with Grade Pay Rs.10,000/- (in CDA pattern) in the parent cadre/ department;</p> <p>or</p> <p>(ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the posts in the Pay Band-4 (Rs.37400-67000) with Grade Pay Rs.8900/- (in CDA pattern) in the parent cadre/ department;</p> <p>or</p> <p>(iii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the posts in the Pay Band-4 (Rs.37400-67000) with Grade Pay Rs.8700/- (in CDA pattern) in the parent cadre/ department;</p> <p>and</p> <p>Possessing the essential educational qualification and essential experience stipulated in Column 7.</p> <p>Period of deputation</p> <p>Initial period of deputation shall be 05 years, which may be extended for a period of 02 years or curtailed with the approval of the Appointing Authority.</p>

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

609 GI/13-3

Name of post	No. of post	Classification of post	Pay Band and Grade Pay	Method of recruitment
1	2	3	4	5
Chief General Manager (Standardization, Research, Development and Quality)	01 (2013), subject to variation dependent on workload	Group-A	PB-4 (Rs.37400-67000) with Grade Pay Rs.10,000	Promotion / Deputation

Age limit (in respect of direct recruitment only)	Educational qualification and experience required	In case of recruitment by promotion / deputation, the grades from which to be made
6	7	8
Not Applicable	<p>Essential Educational Qualification:-</p> <p>Bachelor's Degree in Civil Engineering or equivalent from a recognized University/ Institute.</p> <p>Desirable Educational Qualification:-</p> <p>(a) Post Graduate Degree in Civil Engineering in a field related to Highway Engineering from a recognized University/ Institute; or (b) Post Graduate Degree / Diploma in Management from a recognized University/ Institute; or (c) Degree in Law from a recognized University/ Institute.</p> <p>Essential Experience:-</p> <p>(i) Should be working in an analogous post on a regular basis; or the post equivalent to that of General Manager of NHAI or Superintending Engineer of MoRT&H in the Pay Band-4 with Grade Pay Rs.8700/- (in CDA pattern) for a period of at least three years on a regular basis; and (ii) At least 17 years' service in a Group-'A' post carrying the pay scale of Pay Band-3 (Rs.15600-39100) with Grade Pay Rs.5400/- or higher (in CDA Pattern) on a regular basis; and (iii) Out of which at least 12 years experience in Highways/ Road/ Bridge engineering, of which minimum of 03 years experience in Standardization/ Research & Development/ Quality.</p> <p>Desirable Experience:-</p> <p>Should be well versed in the field of planning, pre-qualification of consultants and contractors; financial appraisal of projects; detailed designing; techno-financial reviews; evaluation of tenders; contract management; monitoring; liaison with major construction agencies / government bodies; performance appraisal of major highways/ bridge projects.</p>	<p>Selection through Search-cum-Selection Committee:-</p> <p>(1) By promotion from amongst General Manager (Technical) of NHAI with three years' regular service in the grade; <u>and</u> possessing essential educational qualification and essential experience stipulated in Clauses (ii) and (iii) of Column 7. OR (2) By deputation from officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organizations and other Government Bodies:-</p> <p>(i) holding analogous post on regular basis in the pay scale of Pay Band-4 (Rs.37400-67000) with Grade Pay Rs.10,000/- (in CDA pattern) in the parent cadre/ department; or (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the posts in the Pay Band-4 (Rs.37400-67000) with Grade Pay Rs.8900/- (in CDA pattern) in the parent cadre/ department; or (iii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the posts in the Pay Band-4 (Rs.37400-67000) with Grade Pay Rs.8700/- (in CDA pattern) in the parent cadre/ department; and Possessing the essential educational qualification and essential experience stipulated in Column 7.</p> <p>Period of deputation</p> <p>Initial period of deputation shall be 05 years, which may be extended for a period of 02 years or curtailed with the approval of the Appointing Authority.</p>

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Name of Post	No. of Post	Classification of Post	Pay Band and Grade Pay	Method of recruitment
1	2	3	4	5
Hindi Officer	01 (2013), subject to variation dependent on workload	Group-A	PB-3 (Rs.15600- 39100) with Grade Pay of Rs.5400	Promotion / Deputation

Age limit for direct recruitment	Educational qualification and experience required	In case of recruitment by promotion/ deputation, the grades from which to be made
6	7	8
Not Applicable	<p>Educational qualifications:</p> <p>Essential:-</p> <p>Master's degree of a recognized University or equivalent in Hindi with English as a subject at the degree level;</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Master's degree of a recognized University or equivalent in English with Hindi as a subject at the degree level;</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Master's degree of a recognized University or equivalent in any subject with Hindi and English as subjects at the degree level;</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Master's degree of a recognized University or equivalent in any subject with Hindi Medium and English as a subject at the degree level;</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Master's degree of a recognized University or equivalent in any subject with English Medium and Hindi as a subject at the degree level.</p> <p>Desirable:-</p> <p>(i) Knowledge at the level of Matriculation of a recognized Board or equivalent of one of the languages other than Hindi mentioned in the Eighth Schedule of the Constitution.</p> <p style="text-align: center;">or</p> <p>(ii) Degree or Diploma in translation from Hindi to English and vice-versa from a recognized University.</p> <p>Essential Experience:-</p> <p>Five years experience of terminological work in Hindi and translation work from English to Hindi or vice-versa, preferably of technical or scientific literature.</p>	<p>(1) By promotion from amongst Junior Hindi Translator in NHA1 with six years' regular service in the grade.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>(2) By deputation from officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organizations and other Government Bodies:-</p> <p>(i) holding analogous post on regular basis in the pay scale of Pay Band-3 (Rs.15600-39100) with Grade Pay Rs.5400/- (in CDA pattern) in the parent cadre/ department;</p> <p style="text-align: center;">or</p> <p>(ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the pay scale of Pay Band-2 (Rs.9300-34800) with Grade Pay Rs.4600/- (in CDA pattern) in the parent cadre/ department;</p> <p style="text-align: center;">or</p> <p>(iii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the pay scale of Pay Band-2 (Rs.9300-34800) with Grade Pay Rs.4200/- (in CDA pattern) in the parent cadre/ department;</p> <p style="text-align: center;">and</p> <p>Possessing the essential educational qualifications and essential experience stipulated in column 7</p> <p>Period of deputation</p> <p>Initial period of deputation shall be 05 years, which may be extended for a period of 02 years or curtailed with the approval of the Appointing Authority.</p>

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.